लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462021
दूरभाष 91–0755–2583650 फैक्स 2583651 ई–मेल est4-dpi@mp.gov.in

क्रमांक स्था–4/सी/अनु0नियु0/2018/2234 भोपाल,दिनांक 25/09/18

प्रति,

संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा
मध्यप्रदेश ।

विषय :– अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी करने बावत् ।

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक सी–3–12/2013/1/3, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बाबत् नवीन दिशा निर्देश जारी किये जाकर सभी लंबित आवेदन पत्रों का निराकरण समयावधि में किये जाने के निर्देश के परिपालन में अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण हेतु संचालनालय स्तर पर समिति का गठन आदेश क्रमांक स्था–4/सी/अनु0नियु0/85/2017/1177–1178, भोपाल, दिनांक 14.08.2018 द्वारा किया गया ।

गठित समिति द्वारा सागर संभाग से प्राप्त प्रस्ताव/आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण कर आवेदक को सशर्त अंतरिम रूप से **सहायक ग्रेड–3** के लिये अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र पाया है । अनुकंपा नियुक्ति के लिए संबंधित आवेदक का मूल प्रकरण पत्र व्यवहार पृष्ठ स0क्र0 01 से 41 तक संलग्न प्रेषित है ।

स. क्र	आवेदक का नाम एवं पता	श्रेणी	दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक	संबंधित जिले का नाम जहाँ पर आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति देना है।
1	2	3	4	5
01.	श्री मधुप सुमन पुत्र स्व. श्री हरीराम लडिया निवासी वार्ड नं. 06 महावीर वार्ड पथरिया जिला दमोह, म.प्र. ।	अनुसूचित जाति	मृत्यु दिनांक 08.09.2012	जिला सतना

1/ उपरोक्त अंतरिम चयनित आवेदक के समस्त शैक्षणिक योग्यता,जाति प्रमाण पत्र एवं सुसंगत दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन तथा चिकित्सीय परीक्षण नियमानुसार कराने के उपरांत ही जिले में उपलब्ध रिक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति देना सुनिश्चित करें।

2/ नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों से पुनः शपथ पत्र प्राप्त करें कि (1)परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी शासकीय, अशासकीय सेवा, निगम मण्डल परिषद् आदि में नियोजित नहीं है (2) परिवार के सभी सदस्यों की सहमति शपथ पत्र (3) आवेदक द्वारा परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने हेतु शपथ पत्र । नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व नियोक्ता द्वारा संबंधित आवेदक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाए, कि चयनित आवेदक के अंकसूची सत्यापन, चरित्र सत्यापन, जाति प्रमाण पत्र रिपोर्ट में शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते है, तो अनुकंपा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना सूचना के समाप्त करने की अधिकारिता नियोक्ता का होगा ।

3/ नियोक्ता सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुक्रम में आवेदकों के मूल दस्तावेजों के सत्यापन, मेडिकल के उपरांत चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रत्याशा में अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएँ ।

4/ सक्षम अधिकारी स्तर से नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी–3–12/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 के प्रावधान/पात्रता के सुनिश्चियन के उपरांत नियुक्ति आदेश जारी किये जायें । दिशा निर्देशों के तहत दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित को कॉलम क्रमांक–5 में उल्लेखित जिले में रिक्त पद अनुसार दिनांक 30 सितम्बर, 2018 तक की समय–सीमा में अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी कर स्था–4 कक्ष की ई–मेल est4-dpi@mp.gov.in पर भेजना सुनिश्चित करें।

5/ अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में रोस्टर/आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

संलग्न :– मूल प्रस्ताव(पत्र व्यव.पृ. 01 से 41)

"संचालक द्वारा अनुमोदित"

(धीरेन्द्र चतुर्वेदी)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां. क्रमांक स्था–4/सी/अनु0नियु0/2018/2235
भोपाल,दिनांक 25/09/18

प्रतिलिपि :–

1 विशेष सहायक मान0मंत्री जी /राज्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल ।
2 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3 कलेक्टर, जिला सतना म0प्र0 ।
4 जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना म0प्र0 ।
5 संबंधित **श्री मधुप सुमन पुत्र स्व. श्री हरीराम लडिया निवासी वार्ड नं. 06 महावीर वार्ड पथरिया जिला दमोह, म.प्र. ।**

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश